

# मालेगांव बम विस्फोट केस: १७ साल बाद सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा सबूत नहीं

मुंबई, ३१ जुलाई (जमीर काज़ी / तामीर न्यूज़)

२००८ में रमजान के दौरान महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में हुए भीषण बम विस्फोट मामले में विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा और पुख्ता सबूतों के अभाव में आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत के न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि २९ सितंबर २००८ को भिक्खू चौक पर हुए बम विस्फोट में जिन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, उनमें से किसी के खिलाफ ऐसा प्रत्यक्ष या तकनीकी सबूत नहीं है जो उन्हें दोषी ठहरा सके।

निर्दोष ठहराए गए आरोपी

बरी होने वालों में भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल हैं।

कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने अपने १००० पन्नों के फैसले में कहा:

धमाके की पुष्टि हुई, लेकिन यह सिद्ध नहीं हुआ कि विस्फोट मोटरसाइकिल में ही हुआ था। जिस बाइक की बात हो रही है उसका चेसिस नंबर मिटा हुआ था और यह

सिद्ध नहीं हो सका कि वह बाइक साध्वी प्रज्ञा के पास थी। घटनास्थल से बाइक पर किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ आरडीएक्स लाने या इस्तेमाल करने का कोई सबूत नहीं मिला। आरोपी आपस में मिले या कोई साजिश रची हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं।

मकोका और यूएपीए जैसे कानूनों का गलत इस्तेमाल किया गया।

कोर्ट ने एनआईए की जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए। गवाही और प्रक्रिया

इस केस में कुल ३२३ गवाहों की गवाही हुई, लेकिन इनमें से ४० गवाह अदालत में

मुकर गए और २५ गवाहों की मौत हो गई। गवाही और सबूतों में गंभीर खामियों के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

पृष्ठभूमि २९ सितंबर २००८ को रात ९:३५ बजे रमजान के महीने में मालेगांव के भिक्खू चौक पर एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में बम विस्फोट हुआ था। इसमें ६ लोगों की मौत हुई थी और १०१ से अधिक घायल हुए थे। यह विस्फोट इतना तीव्र था कि आसपास की कई इमारतें और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

## सत्य की जीत या न्याय की हार?

१७ साल चले इस चर्चित मुकदमे का अंत कोर्ट के फैसले से हुआ, लेकिन यह फैसला अब भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बहसों को जन्म दे रहा है। जहां एक ओर इसे सत्य की जीत बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पीड़ित पक्ष और कुछ संगठन इसे न्याय का मखौल बता रहे हैं।

## साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की प्रतिक्रिया



कोर्ट में भावुक हुई साध्वी ने कहा, मैं न्यायपालिका पर भरोसे के साथ यहां आई थी। मुझे १३ दिन तक अमानवीय यातनाएं दी गईं, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया। १७ साल तक मेरा अपमान किया गया और मुझे मेरे ही देश में आतंकवादी कहा गया। आज सच की जीत हुई है।

## मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान



यह फैसला साबित करता है कि देश में कभी भावा आतंकवाद था ही नहीं। कांग्रेस ने यह फर्जी नैरेटिव गढ़कर हिंदू समाज को बदनाम किया। आज सच सामने आ गया है।

## असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया



यह फैसला बेहद निराशाजनक है। धमाके में मारे गए ६ मुसलमान नमाजियों की मौत का कौन जिम्मेदार है? क्या सिर्फ इसलिए कि आरोपी शक्तिशाली तबके से हैं, उन्हें बरी कर दिया गया?

## सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया

मानवाधिकार संगठनों ने फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ ने फैसले को न्याय की विफलता बताया और कहा कि पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। वहीं कुछ संगठनों ने जांच की प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया।

# महादेव मुंडे के परिजनों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात! मुख्यमंत्रीने एसआयटी गठन के दिए आदेश

## धनंजय मुंडे के बंगले से आता है फोन और फिर कुछ नहीं होता: ज्ञानेश्वरी मुंडे का गंभीर आरोप

बीड (प्रतिनिधि): परळी के व्यापारी महादेव मुंडे की हत्या को २१ महीने बीत जाने के बाद भी अब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। न्याय की आस में संघर्षरत महादेव मुंडे की पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडे ने पिछले सप्ताह बीड पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था। फिर भी जब न्याय नहीं मिला तो उन्होंने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में मुलाकात की।

मुख्यमंत्री से मिलने से पहले ज्ञानेश्वरी मुंडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए परळी की गुंडागर्दी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री से दोपहर दो बजे मिलने का समय दिया गया था। उन्होंने कहा, जो कुछ भी



इन २१ महीनों में हुआ, वह सब मैंने मुख्यमंत्री को विस्तार से बताया। मैं २१ महीनों से न्याय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जिन लोगों ने मेरे पति की हत्या की, वे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं।

ज्ञानेश्वरी मुंडे ने यह भी कहा, आरोपियों के नाम मैं मुख्यमंत्री को गोपनीय रूप से दूंगी। बार-बार एक ही बंगले से फोन आता है और फिर कुछ नहीं होता, और वह बंगला धनंजय मुंडे का है। यह एक गंभीर आरोप था, जो उन्होंने खुलेआम मीडिया

के सामने रखा।

ज्ञानेश्वरी मुंडे ने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की जांच डबल (विशेष जांच टीम) और उखऊके माध्यम से करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर विश्वास है।

इस हत्याकांड से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी विजयसिंह बाळ बांगर ने सामने रखी, जिन्होंने अब महादेव मुंडे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। उन्होंने मुंडे परिवार से मिलकर न्याय की इस

लड़ाई में उनके साथ होने का भरोसा दिलाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, महादेव मुंडे की हत्या २१ अक्टूबर २०२३ को हुई थी और उनका पोस्टमार्टम २२ अक्टूबर की रात १२:१५ से १:३० बजे तक उपजिला अस्पताल में किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे पहले उनका गला रता गया था। उनके शरीर पर २० सेमी लंबा, ८ सेमी और ३ सेमी चौड़ा गहरा घाव था। गर्दन के दाईं ओर चार बार हमला किया गया था, जिसमें से एक वार

चूक गया और उनके चेहरे पर जाकर लगा। यह वार कान से लेकर मुंह तक था जिसकी लंबाई १३ सेमी और गहराई डेढ़ सेमी थी। गले पर गहरा वार होने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुलाकात में महादेव मुंडे के परिजनों की सारी बातें गंभीरता से सुनीं और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए कि इस हत्याकांड में तत्काल डबल (विशेष जांच दल) गठित की जाए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान विधायक सुरेश धस, बाळा बांगर, ज्ञानेश्वरी मुंडे, महादेव मुंडे के माता-पिता और उनका बेटा भी उपस्थित थे। परिजनों ने मांग की कि सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उचित कार्रवाई करते हुए महादेव मुंडे को न्याय दिलाया जाए।

# पशुओं के लिए सुपर स्पेशलिटी एंबुलेंस का मंत्री पंकजा मुंडे के हाथों हुवा लोकार्पण



मुंबई, दिनांक ३१:

समस्त महाजन' संस्था के अहम अनुकंपा प्रोजेक्ट' के अंतर्गत मुंबई और उपनगर क्षेत्रों में गाय माता और अन्य पशुओं की सेवा हेतु तैयार की गई सुपर स्पेशलिटी पशु एंबुलेंस का लोकार्पण आज पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे के हाथों संपन्न हुआ।

इस उद्घाटन कार्यक्रम में संस्था के प्रबंध न्यासी गिरीश शाह, सूटी पेश शाह और समस्त जैन समाज के अनेक लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। समस्त

महाजन' संस्था द्वारा आरंभ किया गया यह आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एंबुलेंस वाहन मुंबई, ठाणे और पालघर क्षेत्रों में घायल और बीमार गायों व अन्य पशुओं का उपचार करेगा। समाज की विभिन्न गोशालाओं में रहने वाले घायल व बीमार गायों व पशुओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए हायड्रोलिक एंबुलेंस विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। यह उपक्रम पशुओं के दुःख को दूर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पशु मित्रों की सेवा ही इस उपक्रम का मुख्य उद्देश्य है और

भविष्य में यह सेवा और अधिक व्यापक होनी चाहिए, ऐसी आशा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे ने व्यक्त की। समस्त महाजन' संस्था बीते कई वर्षों से पशु कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है। संस्था द्वारा निःशुल्क पशु उपचार, आहार वितरण, वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की सहायता जैसे कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं। संस्था की ओर से अब तक कुल १२,५०० घायल पशुओं का उपचार बीते ३६ महीनों में किया गया है।

## प्रतिभा इंगळेने संभाला महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयुक्त का कार्यभार



छत्रपती संभाजीनगर, (औरंगाबाद )

३१ जुलाई । प्रतिनिधि आईएसएस अधिकारी प्रतिभा इंगळे ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के पूर्णकालिक अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने छत्रपती संभाजीनगर स्थित हज हाउस कार्यालय में यह कार्यभार संभाला। इस अवसर पर अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े अन्य कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी, और शहर की विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रशासनिक सफर:

प्रतिभा इंगळे १९९९ बैच की अधिकारी हैं। उनकी पहली नियुक्ति छत्रपती संभाजीनगर में उपजिलाधिकारी के रूप में हुई थी। वर्ष २०२० में उन्हें अतिरिक्त जिलाधिकारी के पद पर पदोन्नति मिली, और पुणे के झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण में सचिव पद पर काम किया।

मार्च २०२५ में वह निवडश्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) अतिरिक्त जिलाधिकारी बनीं और सांगली जात पडताळणी समिती की अध्यक्ष रहें।

१४ जुलाई २०२५ को उन्हें आईएसएस संवर्ग में पदोन्नति प्राप्त हुई और १७ जुलाई को राज्य

अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।

अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने अन्नधान्य वितरण अधिकारी, वन पुनर्वसन अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी और धारावी (मुंबई) भूसांपादन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। प्रशासनिक कार्यक्षमता और ज़िम्मेदारी के प्रति निष्ठा के कारण वे एक कुशल और सक्षम अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं।

प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण: कार्यभार संभालते हुए प्रतिभा इंगळे ने कहा:

राज्य सरकार की योजनाएं अल्पसंख्यक समाज तक प्रभावी रूप से पहुंचें, और ज़रूरतमंदों को इनका लाभ मिले - यह मेरी प्रमुख प्राथमिकता होगी। सबसे पहले, आयुक्तालय में ३६ स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों को भरना मेरी प्राथमिकता है। साथ ही, अल्पसंख्यक आयुक्तालय के लिए एक स्वतंत्र इमारत का निर्माण भी मेरी प्राथमिक योजनाओं में शामिल है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सभी योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

# अण्णाभाऊ साठे जयंती पर बीड शहर पुलिस स्टेशन में रक्तदान शिविर का आयोजन, एस पी ने खुद दिया अतिया खून का

बीड, ३१ जुलाई ( प्रतिनिधि) लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती के उपलक्ष्य में बीड शहर पुलिस स्टेशन में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल ३१ रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर समाजसेवा में सहभाग दर्ज कराया। इस विशेष शिविर में पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत कांन्त और अपर पुलिस अधीक्षक श्री सचिन पांडकर ने स्वयं रक्तदान कर एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके साथ बीड शहर पुलिस निरीक्षक शितलकुमार बल्लाळ सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी रक्तदान किया। थोर पुरुषों की जयंती में लोकाभिमुख उपक्रम आवश्यक – एसपी नवनीत कांन्त इस अवसर पर बोलते हुए पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत कांन्त ने कहा: हम जब भी थोर पुरुषों की जयंती



मनाते हैं, तो केवल औपचारिक उत्सव तक सीमित न रहें, बल्कि समाजोपयोगी कार्यों से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। आज के समय में हम उनकी शिक्षाओं को

कहा कि समाज में अगर कोई गलत घटना हो रही हो तो पुलिस को समय रहते जानकारी दें ताकि पुलिस उस पर प्रभावी कार्रवाई कर सके। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों की सराहना की और शुभकामनाएं दीं। बीड शहर पुलिस के ११ अंमलदारों ने किया रक्तदान इस रक्तदान शिविर में बीड शहर पुलिस स्टेशन के ११ कर्मियों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम की सफलता में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। समाज और पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने तथा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की दिशा में यह शिविर एक प्रेरक पहल मानी जा रही है। इस मौके पर शफीक भाऊ, फारोक पटेल, मोईन मास्टर, अशफाक ईनामदार, खूरशीद आलम, बरकत पठान वगैरह मौजूद थे।

## कर्नाटक सरकार अलमट्टी डेम की ऊंचाई न बढ़ाए-मुख्यमंत्री फडणवीस की केंद्रीय जलशक्ति मंत्री को चिट्ठी

जमीर काजी, मुंबई: कृष्णा नदी पर स्थित अलमट्टी बांध की जलाशय स्तर (ऋऊड) की ऊंचाई बढ़ाए जाने से महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर जिलों सहित नदी किनारे बसे इलाकों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अलमट्टी की ऊंचाई न बढ़ाई जाए और इस संबंध में कर्नाटक सरकार को निर्देश दिए जाएं – ऐसी मांग महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री को एक विस्तृत पत्र भी भेजा है।

फडणवीस ने अपने पत्र में अलमट्टी बांध के बैकवॉटर, नदी में गाद (सिल्ट) जमा होने, बांधारों के निर्माण और इन कारणों से बनने वाली बाढ़ की स्थिति की गंभीरता पर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि इससे संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को हर वर्ष भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नागरिकों की परेशानियों में भारी इजाफा हो सकता है। फडणवीस ने यह भी बताया है कि अलमट्टी डेम के कारण कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों में गाद जमा होने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे इन नदियों की जल वहन करने की क्षमता घट गई है। इसका सीधा असर यह हो रहा है कि बाढ़ का पानी धीरे-धीरे उतरता है और लंबे समय तक ठहरता है। साथ ही बांधारों में भी बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा हो रही है, जिससे



महाराष्ट्र सरकार ने अलमट्टी डेम के बैकवॉटर से उत्पन्न संभावित बाढ़ की स्थिति का अध्ययन करने के लिए रुड़की स्थित 'नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी' को सिम्पुलेशन और हाइड्रोलॉजिक्स पद्धति से अध्ययन करने का कार्य सौंपा है। इस अध्ययन के आधार पर बाढ़ की सटीक संभावनाओं का पता लगाया जा सकेगा। अभी तक इस अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे में तब तक अलमट्टी की ऊंचाई बढ़ाने का कोई भी निर्णय तर्कसंगत नहीं होगा – ऐसा फडणवीस ने स्पष्ट कहा है।

बाढ़ की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित ऊंचाई वृद्धि के बाद कृष्णा नदी में औसतन छह मीटर तक पानी स्थायी रूप से जमा रहेगा, जिससे बाढ़ की तीव्रता और खतरा दोनों बढ़ेंगे। इसका सीधा असर हजारों नागरिकों के जीवन, उनकी फसलें और खेती पर पड़ेगा। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, दोनों राज्यों के कृष्णा नदी तटवर्ती गांवों के नागरिकों के जीवन, संपत्ति और आजीविका की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कर्नाटक सरकार को अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाए – ऐसी विनती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पत्र में की है।

## मनोज जरांगे पाटील व महादेव मुंडे के परिजनों की उपस्थिति में हो रही आज की व्यापक बैठक में भारी संख्या में शामिल हों

### विधायक संदीप क्षीरसागर की अपील

बीड, १ जुलाई (प्रतिनिधि): स्वर्गीय महादेव मुंडे के परिजन अभी भी न्याय की प्रतीक्षा में हैं। उन्हें न्याय दिलाने के लिए बीड में संघर्षोद्धा मनोज दादा जरांगे पाटील की प्रमुख उपस्थिति में जो बैठक आयोजित की जा रही है, उसमें मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा, आप सभी भी शामिल हों – ऐसा आह्वान विधायक संदीप क्षीरसागर ने किया है। परळी के स्व. महादेव मुंडे की हत्या को २० महीने बीत चुके हैं। पिछले १८ महीनों से पुलिस को यह तक पता नहीं चल पाया कि असली आरोपी कौन है। स्व.



महादेव मुंडे की भी स्व. संतोष देशमुख की तरह नृशंस हत्या की गई थी। यह अत्यंत

गंभीर मामला होने के बावजूद पुलिस और सरकार मौन साधे हुए हैं। न्याय के लिए स्व. महादेव मुंडे की पत्नी लगातार आंदोलन कर रही हैं। कुछ दिन पहले तो उन्होंने बीड के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने विष पीकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था। यदि न्याय की मांग के लिए किसी बहन को विष पीने की नौबत आ रही है, तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। इसलिए महादेव मुंडे के परिवार को न्याय दिलाने के लिए अब सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस

प्रकार संतोष देशमुख हत्याकांड में व्यापक आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार का आंदोलन अब खड़ा करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में आज बीड में दोपहर १२ बजे रामकृष्ण लॉन्स में संघर्षोद्धा मनोज जरांगे पाटील की प्रमुख उपस्थिति में सर्वधर्मीय, सर्वजातीय, सर्वपक्षीय बैठक आयोजित की जा रही है। स्व. महादेव मुंडे और उनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए समाज के सभी वर्गों से बड़ी संख्या में इस बैठक में शामिल होने की अपील विधायक संदीप क्षीरसागर की ओर से की गई है।

## नथूराम गोडसे ने गोली चलाते वक्त क्या धर्म बदला था? -पृथ्वीराज चव्हाण का सवाल

/ जमीर काजी, मुंबई मुंबई: जब नथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, तब क्या उसने अपना धर्म बदला था? – यह सवाल पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने उठाया है। उन्होंने कहा कि आतंक की एक अपराधी होता है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। पहलगाम हमले के बाद आरोपी पकड़े नहीं गए, ट्रैन ब्लास्ट में सबूत नहीं मिले इसलिए छोड़ दिया गया। मालेगांव विस्फोट में भी यही हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने अभी तक सबूत पेश नहीं किए। अगर एक के बाद एक आरोपी छूट रहे हैं तो यह अमित शाह और उनकी एजेंसियों की विफलता है, ऐसी तीखी आलोचना पृथ्वीराज चव्हाण ने की।



उज्ज बाजार में नहीं मिलता। इस केस को पहले महाराष्ट्र पुलिस ने दाखिल किया था।

क्या महाराष्ट्र पुलिस सक्षम नहीं थी?

क्या झूठे केस बनाए गए थे?

अगर हां, तो केस दर्ज करने वालों पर कार्रवाई की जाए।

क्या कोई हमला नहीं हुआ था?

उन्होंने आगे कहा

कि श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट से जुड़े मामलों में भी सबूत पेश नहीं किए गए, और यह पूरी तरह से सरकार की विफलता है।

पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि इस केस का नतीजा क्या होगा, इसकी जानकारी पहले से थी। घटना २००८ की है, और अब कई सालों बाद फैसला आया है। उस घटना में कोई तो था जिसने विस्फोट किया। वह मस्जिद के पास हुआ था। बम खुद से नहीं फटा था। जब छह- ने पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए, तब कोर्ट ने आरोपियों को छोड़ दिया।

उन्होंने कहा, अगर इन लोगों ने बम नहीं फोड़ा, तो फिर किसने

किया? किसने साजिश रची? इसका जवाब छह- नहीं दे पा रही है। मुंबई बम धमाकों में भी दोषी कौन है ये स्पष्ट नहीं किया गया। जो लोग मारे गए, घायल हुए, उन्हें क्या जवाब देंगे? पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि जब तक यह सारी एजेंसियां अमित शाह के नेतृत्व में चलेगी, तब तक ऐसे ही फैसले आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भगवा शब्द आतंकवाद से जोड़ना बंद करें। भगवा हमारे लिए राष्ट्रभक्ति का रंग है। यह संत ज्ञानेश्वर का रंग है। आतंकवाद का कोई धर्म या जाति नहीं होती, वह अपराध है, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या की जाती है।

उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी नथूराम गोडसे था। आज भाजपा एक धर्म और जाति की राजनीति में लोगों को उलझा रही है। आज वो इस दिन को त्योहार की तरह मना रहे हैं, लेकिन जो मारे गए, उन परिवारों को क्या जवाब देंगे? यह छह- की विफलता है। ये सब अमित शाह के नेतृत्व में हो रहा है।

इसलिए कांग्रेस से माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता, ऐसा चव्हाण ने स्पष्ट रूप से कहा।

## कुरैशी समाज और किसानों के समर्थन में सभी समाज वर्ग आगे आए-समाजसेवक हमीद पाले खान और अखिल अण्णा

### गोहत्याबंदी कानून के नाम पर हो रही है व्यापारियों और किसानों की लूट

बीड (प्रतिनिधि):

आज के दौर में किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हुए भी उसकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।



ठीक उसी प्रकार कुरैशी बिरादरी भी अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। इन दोनों समाज वर्गों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाई है, लेकिन आज उन्हें अन्याय, उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। यह केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक विफलता है।

महाराष्ट्र में लागू गोहत्या प्रतिबंधक कानून मूलतः जानवरों की रक्षा के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन कुछ स्थानों पर इस कानून का दुरुपयोग किसानों और कुरैशी समाज पर अन्याय करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए किसान और कुरैशी समाज के समर्थन में मजबूती से खड़ा होना चाहिए। उनके हक के लिए आवाज उठाना, उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना-यह समय की मांग है। इसी उद्देश्य से बीड स्थित जी.एन. फंक्शन हॉल में शुक्रवार, दिनांक ०१ अगस्त २०२५ को शाम ७ बजे एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समाजसेवक हमीद पाले खान और अखिल अण्णा ने सभी समाज वर्गों और किसानों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर एकता और समर्थन का परिचय दें।